झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7 वि०शा० / मु०ल०सिं०राँची–07–16 / 2019 ज०सं०– 26/19-20 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक 19.08.19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः **मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन की 4 अदद् उद्‌वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रू० 251.204 लाख (रू० दो करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन की 4 अदद् उद्‌वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रू० 251.204 लाख (रू० दो करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राक्कलन का सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है।
4. सभी योजनाएँ मुख्यमंत्री जनसंवाद से अच्छादित है।
5. प्रस्तावित उद्‌वह सिंचाई योजनाओं में Construction of IntakeWell, Pump House, Outlet, Distribution Chamber, Mechanical fitting, Electrical Motor Pump इत्यादि का प्रावधान किया गया है।
6. प्रस्तावित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है–

(क) स्वीकृत उद्‌वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

(ख) योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन, रख–रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान की सहमति लाभुक समिति द्वारा दी गई है। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विद्युत विपत्र भुगतान के लिए लाभुक समिति / उनके पदाधिकारी के नाम विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु विहित प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं उनके देख–रेख में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा ।

(घ) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने / विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।

(ङ) इन योजनाओं के निर्माण कार्य से कुल 252 हे० (खरीफ–200 हे०, रब्बी–52 हे०) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट–I में संलग्न है। औसत इंसिडेन्स ऑफ कॉस्ट रू0 99684/– प्रति हे0 आकलित है। प्रत्येक योजना का लाभ–लागत अनुपात 1.0 से अधिक है।

7. प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न रूप से भारित हो सकेगा

(I) बजट शीर्ष–''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य''

(II) बजट शीर्ष–''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य''

8. प्रस्तावित कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल खूँटी / लोहरदगा / कोडरमा एवं नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची होगें।

9. इन योजनाओं का कार्यान्वयन वर्ष 2019–20 में प्रारंभ कर वर्ष 2020–21 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
10. प्रस्तावित कार्यो के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशो एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन की 4 अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रू॰ 251.204 लाख (रू॰ दो करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।
12. प्रस्ताव का समावेश वित्तीय वर्ष 2019–20 के स्वीकृत बजट में समेकित रूप से प्रावधानित है।
13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
19.8.19
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–16/2019 ज॰सं॰– 26/19-20 प्र॰स्वी॰ /राँची, दिनांक 19.08.19

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–16/2019 ज॰सं॰– 26/19-20 प्र॰स्वी॰ /राँची, दिनांक 19.08.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–16/2019 ज॰सं॰– 26/19-20 प्र॰स्वी॰ /राँची, दिनांक 19.08.19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–16/2019 ज॰सं॰– 26/19-20 प्र॰स्वी॰ /राँची, दिनांक 19.08.19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो॰), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई॰ सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र॰–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–16/2019 ज॰सं॰– 26/19-20 प्र॰स्वी॰ /राँची, दिनांक 19.08.19

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–1

मुख्यमंत्री जनसंवाद के अंतर्गत उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की सूची :–

क्रम सं0	ल0सिं0 प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे0) खरीफ	रब्बी	कुल	B.C.Ratio	Incidence of Cost (Rs/ Ha)	शीर्ष	अभि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खूँटी	खूँटी	गोविन्दपुर ग्राम में कारो नदी के बॉयी ओर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	कर्रा	66.495	50	11	61	1.72	109008	TSP	मुख्यमंत्री जनसंवाद Grievance No. 2018-43631
2	खूँटी	खूँटी	गोविन्दपुर ग्राम में कारो नदी के दॉयी ओर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	कर्रा	66.495	50	11	61	1.72	109008	TSP	
3	लोहरदगा	लोहरदगा	मन्हो उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	लोहरदगा	72.473	50	18	68	1.5	106578	TSP	मुख्यमंत्री जनसंवाद Grievance No. 2018-19857
			योग		205.46	150	40	190				
4	कोडरमा	कोडरमा	पहाड़ सिंह खैरा ग्राम में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	सतगॉवा	45.741	50	12	62	1.11	73776	OSP	प्रधानमंत्री पोर्टल Grievance No. PMO/PG/D2017/0405230 एवं मुख्यमंत्री जनसंवाद Grievance No. 2018-61599
			योग		45.741	50	12	62				
			कुल योग		251.204	200	52	252				

14.8.19

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक – 26/19-20 प्र० स्वी०, दिनांक – 19.08.19